राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 97/2014

संजीव कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर सुधार न्यास, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.09.2014
आदेश की दिनांक : 07.03.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द बोहरा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधीशाषी अभियंता के पद पर नगर सुधार न्यास उदयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का पदस्थापन अध्यक्ष नगर सुधार न्यास, जोधपुर के आदेश दिनांक 08.01.1997 (अनुलग्नक–1) के द्वारा कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के अस्थायी पद पर वेतन श्रृंखला रूपये 1400–2600 में किया गया था। उपसचिव नगर सुधार न्यास, जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी आदेश दिनांक 28.12.2009 एवं 17.01.2003 (अनुलग्नक–2 एवं 3) द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को विस्तार दिया गया। उपसचिव नगर सुधार न्यास के आदेश दिनांक 18.07.2003 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को नियमित वेतन श्रृंखला रूपये 5000–150–8000 प्रदान किया गया। अपीलार्थी ने अपनी सेवा के चयनित वेतन लाभ, वरिष्ठता एवं सेवाकाल की गणना इत्यादि अपनी सेवा के आरम्भिक नियुक्ति से चाही है।
2. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन

का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। इस सम्बन्ध में नियमावली स्पष्ट है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने चयनित वेतनमान आदि के परिलाभ सेवा में स्थायीकरण से दिये जाने के निर्णय दिये हैं, न कि अस्थायी नियुक्ति तिथि से। इस सम्बन्ध में सभी प्रासांगिक नियमों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुरूप प्रकरण का परीक्षण कर विभाग नियमानुसार प्रकरण निस्तारण हेतु विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
5. उक्त अपील उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य